फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

नवीन कुमार बनाम **अमरसिह**

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. नम्बर 229 सन–2022

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म का तामील में जारी हुए
30.09.2022	वकील सायल ने यह प्रार्थना –पत्र सायल की ओर से पेश किया प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील सायल को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया प्रकरण, सूविधा का सन्तुलन , अपूर्णीय क्षति का बिन्दु सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः प्रस्तुंत दस्तावेज एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए गैरसायल /अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि रोही मौजा 25 एनटीआर के खाता संख्या 37/23 की कुल 5.9080हैक भूमि में से विशेष हिस्से का बेचान एवं बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अकृषि प्रयोग आगामी तारीख पेशी तक नही किया जावे अस्थायी निषेधाज्ञा बढाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा एवं यह स्थगन आदेश ,खाला, रास्ता की भूमि पर लागू नही होगा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक 30.11.2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर	
30.11.22	वकील वादी उपस्थित। वकील वादी प्रतिवादी/गैरसायलान की तलबी हेतु रजिस्टर्ड सम्मन आगामी तारीख पेशी पर आवश्यक तौर से पेश करे। पत्रावली वास्ते तलबी प्रतिवादी/गैर सायलान दिनांक 23/3/2023 को पेश हो।	
24/3/23	दिनांक 23.3.23 को अवकाश होने के कारण पत्रावली आज पेश हुई। गैरसायलान के तलबी हेतु सम्मन पेश नही। आगामी पेशी पर रजिस्टर्ड सम्मन आवश्यक तौर से पेश करें। पत्रावली दिनांक 17/7/23 को पेश हो	[illegible] 24-3-23

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:36:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

31.5.23

पत्रावली प्रार्थी द्वारा दावा के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पेशी में ली गई। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। प्रार्थी की पहचान वकील प्रार्थी श्री मांगेराम गोदारा ने की। प्रार्थी द्वारा राजीनामा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर मूल वाद खारिज हो चुका है। मूल वाद खारिज होने के कारण प्रार्थना पत्र चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः मूल वाद राजीनामा प्रार्थना पत्र पर खारिज होने के कारण अस्थाई प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:56:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner